

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

आदेश संख्या-11/2026

दिनांक-19.08.2026

दाण्डिक वादों के समस्त दाण्डिक न्यायालयों में साम्य वितरण के दृष्टिगत रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार-विमर्श के उपरान्त न्याय प्रशासन सुचारु संचालनार्थ कार्य वितरण की व्यवस्था अग्रिम आदेश तक निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है-

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	थाना- कोतवाली शामली, कैराना, झिझांना, जी०आर०पी०, आर०पी०एफ०, विशेष धाराओं से संबंधित वाद, पुलिस चालानी व थाना- कोतवाली शामली, कैराना, झिझांना से संबंधित समस्त परिवाद (138 एन०आई० एक्ट व घरेलू हिंसा के वाद को छोड़कर)
2.	सिविल जज सी० डि, कैराना	थाना-आदर्शमण्डी व बाबरी से संबंधित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद तथा थाना कोतवाली शामली से संबंधित 138 एन०आई० एक्ट के वाद
3.	सिविल जज जू० डि०, शामली	थाना-थानाभवन से संबंधित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद तथा थाना कोतवाली शामली से संबंधित घरेलू हिंसा के वाद
4.	सिविल जज जू० डि०, कैराना	थाना-गढीपुख्ता व महिला थाना से संबंधित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद तथा थाना कैराना से संबंधित धारा-138 एन०आई० एक्ट व घरेलू हिंसा के वाद
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	थाना-कांधला से संबंधित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद

नोट- उक्त आदेश का प्रभाव एक्शन प्लान से संबंधित पत्रावलियों तथा साम्यिक वितरण पर आधारित पत्रावलियों पर नहीं होगा।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन उपरान्त प्रभावी होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।
19/8/26

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदनार्थ।
- 2- संयुक्त निदेशक (अभियोजन) को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, को सूचनार्थ।
- 5- समस्त सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 6- सत्र लिपिक, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ।
- 7- दण्ड लिपिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को सूचनार्थ।
- 8- कम्प्यूटर अनुभाग जजशिप शामली को सूचनार्थ।

Seen and system
officer to upload
on website.

21.08.26
Natal officer
computer

Seen & Approved
जनपद न्यायाधीश
शामली स्थित कैराना।
20/08/26